

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023-

(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, पटना के पत्रांक-1214, दिनांक-21.04.2025 द्वारा श्री पियूष मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलछी, पटना के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के साथ दूरभाष पर अभद्रता से गाली-गलौज तथा दुर्व्यवहार किये जाने, श्रीमती पल्लवी देवी, प्रमुख प्रखंड, बेलछी, पटना द्वारा श्री मिश्रा के विरुद्ध समर्पित परिवाद पत्र में प्रतिवेदित शिकायतें यथा-कार्य के प्रति अनियमितता, लापरवाही, अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति उदासीनता एवं अपने पद का दुरुपयोग किये जाने जैसे शिकायतों के प्रथम दृष्टया सही पाये जाने, राजस्व कार्यों से संबंधित बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आवंटित सरकारी आवास से लगभग 18 किलोमीटर दूर रहते हुए मकान भत्ता का निकासी करने, रोकड़ बही पर हस्ताक्षर नहीं करने, अंचल कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों का पूर्व से चले आ रहे वेतन विपत्र पंजी को छोड़कर नई विपत्र पंजी संधारित कर अपने पास रखने एवं श्री दिलीप कुमार चौधरी, लिपिक, शहरी प्रबंधन ईकाई, कार्यालय, पटना तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, बेलछी के मनमाने ढंग से आयकर के रूप में माह/नवम्बर, 2024 एवं दिसम्बर 2024 में मो०-20,000 प्रति माह वेतन की कटौती करने संबंधित आरोपों के लिये आरोप पत्र पुर्नगठित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-904 (15) दिनांक-03.06.2025 के प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय-प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा निर्धारित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री मिश्रा से प्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मिश्रा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1089(15), दिनांक-20.07.2026 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसका जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-13888 दिनांक-21.07.2023 के कंडिका-5 (iii) के आलोक में बिहार राजस्व सेवा के निलंबित पदाधिकारियों, जिनकी निलंबन अवधि एक वर्ष से अधिक है, के विरुद्ध प्रतिवेदित/गठित आरोप की प्रकृति को देखते हुए निलंबन मुक्त किये जाने के संबंध में दिनांक-27.07.2026 को समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।

5. समीक्षात्मक बैठक में श्री मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलछी, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण निलंबन अवधि एवं आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निलंबन से मुक्त किये जाने तथा संवेदनशील पदों पर पदस्थापित नहीं किये जाने की अनुशंसा की गयी है, जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मिश्रा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बेलछी, पटना सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा को निलंबन मुक्त किया जाता है। निलंबन मुक्ति के पश्चात् श्री मिश्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, पटना/आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, छपरा /कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं छपरा/श्री पियूष मिश्रा, निलंबित अंचल अधिकारी मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्री मिश्रा को निदेशित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

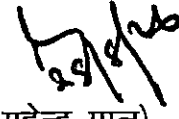
ह0/-

(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-15/विविध (विभागीय समिति) 07-133/2023 1392 (15)/रा0, पटना-15, दिनांक-28/08/24

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति) आई०टी०/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(डॉ० महेन्द्र पाल),

सरकार के अपर सचिव।